प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 01 जून, 2026

विषयः- जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत कुमार पुत्र श्यामबाबू, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-43618/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.11.2025), दिनांक 27.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत कुमार पुत्र श्यामबाबू (दिनांक 21.11.2022 तक बंदी की आयु 42 वर्ष) ग्राम-कण्डौरा, थाना-सुमेरपुर, जनपद- हमीरपुर का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 10.11.2008 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती पिंकी उर्फ उर्मिला व अपनी 02 माह की पुत्री खुशबू की मिट्टी का तेल डालकर एवं जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-10/2009, भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 302 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-02, हमीरपुर के आदेश दिनांक 07.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.09.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.09.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.11.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 08 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने समयपूर्व रिहाई होने पर किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बदी ने दिनाक 10.11.2008 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती पिन्की उर्फ उर्मिला व अपनी 02 माह की पुत्री खुशबू की मिटटी का तेल डालकर एवं जला कर दोनों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी अजीत कुमार पुत्र श्यामबाबू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत कुमार (बंदी संख्या-206/16) पुत्र श्यामबाबू, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-615/2026/2449 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-9054/2026 रतन माली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में उक्त आदेश से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-615/2026/2449/22-2-2025-17(465)/2020

दिनांक 01 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत कुमार पुत्र श्यामबाबू (दिनांक 21.11.2022 तक बंदी की आयु 42 वर्ष) ग्राम-कण्डौरा, थाना-सुमेरपुर, जनपद- हमीरपुर का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 10.11.2008 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती पिंकी उर्फ उर्मिला व अपनी 02 माह की पुत्री खुशबू की मिट्टी का तेल डालकर एवं जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-10/2009, भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 302 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-02, हमीरपुर के आदेश दिनांक 07.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.09.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.09.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.11.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 08 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने समयपूर्व रिहाई होने पर किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बदी ने दिनाक 10.11.2008 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती पिन्की उर्फ उर्मिला व अपनी 02 माह की पुत्री खुशबू की मिटटी का तेल डालकर एवं जला कर दोनों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी अजीत कुमार पुत्र श्यामबाबू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in